भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1735
उत्तर देने की तारीख-10/03/2025

सरकारी विद्यालयों में अवसंरचना संबंधी सुविधाओं की कमी

1735. **श्री सतपाल ब्रह्मचारी:**
श्री नलिन सोरेन:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने हरियाणा और झारखंड के सरकारी विद्यालयों में पेयजल सुविधाओं और शौचालय सुविधाओं की उपलब्धता का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार, विशेषकर हरियाणा में सोनीपत और झारखंड में दुमका लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;
(ख) इन निर्वाचन क्षेत्रों में कितने प्रतिशत सरकारी विद्यालयों में कम्प्यूटर संबंधी अवसंरचना और प्रचालनरत इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध हैं;
(ग) क्या सरकार ने इन लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में विशेषकर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के उन सरकारी विद्यालयों की संख्या का आकलन किया है जहां बैठने के प्रयोजनार्थ झूले की बेंच और खेल के मैदान आदि नहीं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) हरियाणा और झारखंड के सरकारी स्कूलों में पर्याप्त डिजिटल अवसंरचना की कमी के क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए स्कूल शिक्षा के संकेतकों पर डाटा रिकॉर्ड करने हेतु शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज़+) विकसित की है। यूडाइज़+ के अनुसार, हरियाणा और झारखंड में वर्ष 2023-24 में पेयजल, लड़कियों के लिए शौचालय और लड़कों के लिए शौचालय की सुविधा वाले सरकारी स्कूलों का जिला-वार प्रतिशत अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ख): यूडाइज़+ 2023-24 के अनुसार, कंप्यूटर और कार्यशील इंटरनेट कनेक्शन वाले सरकारी स्कूलों का प्रतिशत नीचे दिया गया है:

सुविधा	राज्य/जिला			
	सोनीपत	हरियाणा	दुमका	झारखण्ड
कंप्यूटर	99.4	98.2	76.1	76.6
कार्यशील इंटरनेट कनेक्शन	70.1	52.5	51.0	50.2

(ग): यूडाइज़+ 2023-24 के अनुसार, फर्नीचर और खेल के मैदान वाले प्राथमिक और उच्च प्राथमिक सरकारी स्कूलों का प्रतिशत नीचे दिया गया है:

शिक्षा का स्तर	सुविधा	राज्य/जिला			
		सोनीपत	हरियाणा	दुमका	झारखण्ड
प्राथमिक विद्यालय	फर्नीचर	95.0	89.9	98.0	96.6
	खेल का मैदान	83.3	85.8	81.2	68.5
उच्च प्राथमिक विद्यालय	फर्नीचर	90.9	85.6	99.3	98.1
	खेल का मैदान	85.7	88.5	79.8	68.8

(घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग 2018-19 से स्कूल शिक्षा हेतु एक एकीकृत योजना-समग्र शिक्षा को लागू कर रहा है। समग्र शिक्षा स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है जो प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक फैला हुआ है तथा इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। समग्र शिक्षा को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में लागू किया जाता है तथा हरियाणा और झारखंड सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। समग्र शिक्षा के अन्य घटकों की तरह, आईसीटी और डिजिटल पहलों के लिए निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर जारी की जाती है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, भारत सरकार के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बीएसएनएल के साथ समझौता ज्ञापन/अनुबंध करने और उन सभी सरकारी स्कूलों जिनके पास कंप्यूटिंग डिवाइस हैं, को एफटीटीएच इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए एक परामर्शिका जारी की गई है।

समग्र शिक्षा के आईसीटी और डिजिटल पहल घटक में कक्षा VI से XII तक के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं। इस घटक के तहत, स्कूलों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसकी शुरुआत से लेकर अब तक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 1,42,745 आईसीटी लैब और 1,30,536 स्मार्ट क्लासरूम स्वीकृत किए जा चुके हैं।

*****

अनुलग्नक–I

माननीय संसद सदस्य **श्री सतपाल ब्रह्मचारी और श्री नलिन सोरेन** द्वारा **'सरकारी विद्यालयों में अवसंरचना संबंधी सुविधाओं की कमी'** के संबंध में दिनांक 10.03.2025 को पूछे जाने वाला लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1735 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

हरियाणा में पेयजल, लड़कियों के लिए शौचालय और लड़कों के लिए शौचालय की सुविधा वाले सरकारी स्कूलों का जिला-वार प्रतिशत

राज्य/जिला	पेयजल	लड़कियों के लिए शौचालय	लड़कों के लिए शौचालय
हरियाणा	100	99	99.4
अम्बाला	99.9	99.5	99.1
भिवानी	100	98.6	99.7
चरखी दादरी	100	100	100
फरीदाबाद	100	100	100
फतेहाबाद	100	98.2	99
गुरूग्राम	100	99.1	99.1
हिसार	100	96.5	98.8
झज्जर	100	100	99.6
जींद	100	98.6	98.4
कैथल	100	99.6	100
करनाल	99.9	99.6	99.6
कुरूक्षेत्र	100	99.7	99.9
महेंद्रगढ़	100	99.4	99.9
नूह	100	96.7	97.5
पलवल	100	97.8	99.1
पंचकुला	100	100	100
पानीपत	100	99.5	99.5
रेवाड़ी	100	99.7	99.8
रोहतक	100	100	100
सिरसा	99.9	98.2	98.8
सोनीपत	100	100	100
यमुनानगर	100	100	100

अनुलग्नक–I (जारी)

माननीय संसद सदस्य **श्री सतपाल ब्रह्मचारी और श्री नलिन सोरेन** द्वारा **'सरकारी विद्यालयों में अवसंरचना संबंधी सुविधाओं की कमी'** के संबंध में दिनांक 10.03.2025 को पूछा जाने वाला लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1735 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

झारखंड में पेयजल, लड़कियों के लिए शौचालय और लड़कों के लिए शौचालय की सुविधा वाले सरकारी स्कूलों का जिला-वार प्रतिशत

राज्य/जिला	पेयजल	लड़कों के लिए शौचालय	लड़कियों के लिए शौचालय
झारखंड	98.4	99.3	98.6
बोकारो	98.7	99.7	99.2
चतरा	99.1	99.2	98.5
देवघर	98.5	98.6	98.5
धनबाद	99.4	99.5	99.1
दुमका	97.9	99.4	97.6
गढ़वा	100	99.9	99.4
गिरिडीह	99.8	99.8	99.6
गोड्डा	93.8	99.7	99.1
गुमला	96.7	98.9	98.1
हज़ारीबाग	99	99.5	99
जामताड़ा	100	99.8	97.2
खूंटी	98.6	98.7	98.3
कोडरमा	99.7	99.7	99.1
लातेहार	98.1	99.3	99.1
लोहरदगा	100	100	99.8
पाकुड़	99	99.6	99.7
पलामू	99.1	99.1	98.9
पश्चिमी सिंहभूम	97.3	98.1	96.1
पूर्वी सिंहभूम	99.8	99.7	99.4
रामगढ़	100	99.8	99.5
रांची	99.6	99.4	99.1
साहिबगंज	89	97.6	95.8
सरायकेला-खरसावां	100	99.6	97.2
सिमडेगा	98.4	99.7	99.2